

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग


क्रमांक : प. 6(5)प्र.सु./अनु.-3/2017

जयपुर, दिनांक : 08.5.2018

आज्ञा


समसंख्यक आज्ञा दिनांक 03.11.2017 के द्वारा श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत्त आई.ए. एस. की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति निवारण समिति का कार्यकाल 8 अगस्त 2018 तक बढ़ाये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

  
(डा. प्रेम सिंह त्रारण)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत्त आई.ए.एस, अध्यक्ष वेतन विसंगति निवारण समिति।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
6. शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. श्री डी.के. मित्तल, सेवानिवृत्त राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी, सदस्य वेतन विसंगति निवारण समिति।
10. श्री एम.पी. दीक्षित, सेवानिवृत्त राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी, सदस्य वेतन विसंगति निवारण समिति।
11. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, वित्त (नियम) विभाग, जयपुर को आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
12. रक्षित पत्रावली।

  
(के.के. खण्डेलवाल)  
अनुभाग अधिकारी